

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 3895/2026

अविनाश राय उर्फ अंशु

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विरोधी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : प्रवीण कुमार सिंह, सैयद इमरान इब्राहिम

विरोधी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.,

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार सिंह, और और डॉ. एस. बी. मौर्य, राज्य-प्रतिवादी के लिए विद्वान एजीए-1 को सुना।
2. तत्काल जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 768/2020 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 302, 201, 34, पुलिस स्टेशन- लंका, जिला वाराणसी, के तहत नीचे की न्यायालय में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत दर्ज की गई थी, लेकिन जांच के दौरान मृतक के शव की बरामदगी के बाद, जो दो सह-अभियुक्तों विष्णु और गणेश मामले की ओर इशारा करते हुए एक बोरी में पाया गया था, मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत परिवर्तित कर दिया गया।
4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान आवेदक को पुलिस सूचक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के समक्ष आवेदक के संदेह और बयान और इकबालिया बयान के अलावा, आवेदक के खिलाफ कोई अन्य ठोस सबूत नहीं है।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 19.11.2020 से यानी पिछले साढ़े पांच साल से अधिक समय से वर्तमान मामले में जेल में है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इसलिए, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

7. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह पिछले साढ़े पांच साल से अधिक समय से जेल में है।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत दर्ज की गई थी, लेकिन मृतक के शव की बरामदगी के बाद जांच के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामले को बदल दिया गया।

10. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि पुलिस सूचक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जांच के दौरान, आवेदक को वर्तमान मामले में आरोपी बनाया गया है और यह सह-आरोपी के संदेह और बयान और पुलिस के समक्ष आवेदक के इकबालिया बयान को छोड़कर, अभिलेख पर आवेदक के खिलाफ कोई अन्य ठोस और स्वीकार्य सबूत नहीं है।

11. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में पिछले साढ़े पांच साल से अधिक समय से जेल में है।

12. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

14. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक, **अविनाश राय उर्फ अंशु** को निम्नलिखित शर्तों पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

15. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

05.08.2026

अंकिता

(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)